टी०ए०मिस० केस सं0 159/2019-20 (2)

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति

17/12/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री गंगा लकडा, पिता– स्व० मंगरा लकडा, निवासी सा0– बरकंदाजटोली, थाना– सदर चाईबासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने सा0– नगरपालिका चाईबासा, थाना नं०– 644 के अन्दर खाता नं०– 63 नया 01 प्लॉट नं०– पुराना 473,नया 373 रकवा– 0.02½ एकड़ भूमि क्रेता श्री विकाश लकडा, पिता– बुधराम लकडा, सा0– मेरीटोला, थाना– सदर चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम सें ना0 मु0 सं0 325/2008–09 के द्वारा नामान्तरित हैं। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 853, दिनांक– 14.12.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि डाक्टरी ईलाज एवं मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता श्री विकाश लकडा, पिता– बुधराम लकडा, ग्राम– मेरीटोला, थाना– सदर चाईबासा के पास 2,95,000.00/–(दो लाख पंचानबे हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना सदर चाईबासा, के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 0.07½ एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री गंगा लकडा, पिता– स्व० मंगरा लकडा, निवासी ग्राम– बरकन्दाजटोली, थाना– सदर चाईबासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता श्री विकाश लकडा, पिता– बुधराम लकडा, सा0– मेरीटोला, थाना– सदर चाईबासा के पास जमीन को 2,95,000.00/–(दो लाख पंचानबे हजार) रूपये में मौजा– नगरपालिका, थाना नं०– 644 के अन्दर खाता नं०– 63 नया 01 प्लॉट नं०– पुराना ~~473~~ 472,नया 373 रकवा– 0.02½ एकड जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ...अनुमति... दी जाती है।

लेखापित।

17/12

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

17/12/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner